रजिस्ट्री सं. डी.—(डी॰ एन॰)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1986 (ज्येष्ठ 31, 1908)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1986 (JYAISTHA 31, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	443
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	679
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	953
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	20335
भाग III—खण्ड 2—पैटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	401
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन सत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1143
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	97
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में खण्ड और मूल्य के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	443
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	679
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	953
PART II—SECTION I—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	20335
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	401
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1143
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	97
PART V—Supplement showing Statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1986

संकल्प

सं० फा० 4(1)/85-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 4 सितम्बर, 1985 के समसंख्यक संकल्प के आंशिक आशोधन में, संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री गुलाम नबी आजाद, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, के स्थान पर, श्रीमती शीला दीक्षित, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, समिति की सदस्य होंगी।

देवराज तिवारी, उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1986

सं० भारत सरकार, सांख्यिकी विभाग की दिनांक 18 जनवरी, 1985 की अधिसूचना सं० एम-13011/1/82-रा०प्र०सर्वे०-II का आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं :—

गैर सरकारी

क डा० अतुल गोस्वामी, प्रोफेसर अर्थशास्त्र, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डा० बी० डी० शर्मा, उपकुलपति, उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के स्थान पर चूंकि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त नियुक्त किये गये हैं।

सरकारी

ख प्रभारी अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, मुख्य सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर।

2 उनकी नियुक्ति की अवधि उनके पूर्वाधिकारियों की दो वर्ष की अवधि में से शेष अवधि के लिए अर्थात 19 नवम्बर, 1986 तक होगी।

महेन्द्र नाथ, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1986

सं० 10/3/85-के० से०(II)—कर्मचारी चयन आयोग, (गृह मंत्रालय) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "अ" में अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिये वर्ष 1986 के दौरान प्रत्येक दो महीने में एक बार महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हो तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित नियम जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और अगर आवश्यक समझा गया कर्मचारी चयन आयोग को इसकी सूचना आयोग द्वारा परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने से पहले दे दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा यथा-निर्धारित रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

(I) भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनायें भी शामिल हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत असाम राईफल्स, सेना सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं आते, शपथ ग्रहण के पश्चात् कम से कम छह मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में (चाहे योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा के रूप में) सेवा की है, और

(क) जिसे उसके अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा अक्षमता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप में नियुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी नियुक्ति तक के लिये रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे यथापूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने के लिए हकदार बनने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिये अधिक से अधिक छह मास सेवा करनी है, या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् उसके अपने ही अनुरोध पर नियुक्त कर दिया गया है।

(ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अभिप्रेत है जिन्हें शारीरिक खराबी हो अथवा अंग-विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों, तथा जोड़ों में सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो।

परीक्षा में बैठने वाले शारीरिक रूप से विकलांगों तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को कोई सहायक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जन जाति), आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) (सूचियां) (संशोधन) आदेश 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1964, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति आदेश अधिनियम 1976 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1961 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट–1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। प्रवेश के प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र परिशिष्ट–II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा संवीक्षा के बाद परीक्षा लिये जाने वाले महीने से पिछले महीने की अधिक से अधिक 1 तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थाई या अस्थायी अवर श्रेणी/उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में बैठने तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देने का पात्र होगा।

4. (1) सेवाकाल : उसने "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ" (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 के विनियम 2(क) में परिभाषित है) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की अनुमोदित और लगातार सेवा की हो।

टिप्पण–1—अनुमोदित और लगातार सेवा की दो साल की ऐसी अवधि सीमा उस स्थिति में भी लागू होगी जब कुल गिनी जाने वाली इस सेवा के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड और उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में आंशिक रूप में सेवा की गई हो:

टिप्पण–2—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पण–3—अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जिसका केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के प्रारम्भ होने से केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आवंटन हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड में वीर्ध कालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हो।

(2) आयु : इस परीक्षा के लिए किसी उम्मीदवार की आयु "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ" में (प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 के नियम 2(ख) में परिभाषित है) 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में सत्यापन के बाद कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो उनकी सशस्त्र सेना कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी:—उपरोक्त नियम 3 के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आवाह्न पर सेवा ("काल आफ सर्विस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

5. ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(vii) यदि उम्मीदवार सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(xiv) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है तथा भारत मूलक का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय पारपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण पत्र रखने वाला ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम में जुलाई, 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक और

(xv) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है और वह आंशिक रूप से बहरा है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है।

6. परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो।

8. सामान्य उम्मीदवारों को रु० 8.00 (केवल रु० आठ) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्टों के द्वारा देनी होगी। भूतपूर्व सैनिकों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग उम्मीदवारों द्वारा कोई फीस नहीं दी जानी है।

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी माधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति के छद्म रूप से कार्य साधन कराया है अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिया है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुसूचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा एक सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों को, जितनों को आयोग द्वारा, उत्तीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'घ' के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा/पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक। परीक्षा के लिये परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड "घ" में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णतः सक्षम है। अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर ग्रेड "घ" आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई दावा नहीं होगा।

12. अलग-अलग उम्मीदवारों के परीक्षा-परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षाफल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का तब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र को दृष्टि से चयन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात् अथवा उसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है, अथवा उसके साथ विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार "स्थानान्तरण" पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्ण ग्रहणाधिकार नहीं होता है उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

परिशिष्ट—I

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी परीक्षा का विकल्प देंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें क्रमशः 75 मिनट में लिप्यन्तर करना होगा। आशुलिपि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यन्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपने साथ अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

परिशिष्ट–II

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड "घ" आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

अन्तिम तारीख—परीक्षा के महीने में

पहले के महीने की 1 तारीख——————————

यहां उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज के फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाए। दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

---

1. पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य

2. उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमति/कुमारी (साफ अक्षरों में)

3. सही जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)

4. जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हों उसका नाम तथा पता

5. क्या आप :

(i) अनुसूचित जाति

ii) अनुसूचित जन जाति

(iii) भूतपूर्व सैनिक

(Iv) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं? तो उत्तर हां अथवा नहीं में दें

6. (i) पिता का नाम

(ii) पति का नाम (महिला उम्मीदवार के मामले में)

7. जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपिक परीक्षा देना चाहते हों, उसका नाम लिखें)।

8. क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे यदि हां तो अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा का महीना लिखें।

9. क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी हैं? और क्या आपने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें परीक्षा होनी है संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की अनुमोदित लगातार सेवा कर ली है।

10. यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा संवर्ग बाह्य पद पर स्थानान्तरण के आधार पर हैं तो क्या आप पूर्व पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है ।

प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों को उसके सेवा रिकार्डों से जांच की गई और वे सही हैं।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिये सभी तरह से पात्र है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

विभाग/कार्यालय

संख्या———————

तारीख

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है वह केवल अगले तीनों महीनों के बाद की परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात् जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाए तो वह अगस्त अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नियम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जून, 1985

सं. 5/17/86-सी.एस-1—निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड-1) की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1986 में ली जाने वाली सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालय की सहमति से सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का (समेकित ग्रेड-II तथा III)

वर्ग III

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड I

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

सूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड।

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखें जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. नीचे कालम 1 में उल्लिखित स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त ग्रेडों और सेवा के अस्थाई अधिकारी जो 1-7-1986 को और कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
1	2	3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग I
सामान्य संवर्ग का ग्रेड IV आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड II और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' का साहफर उप संवर्ग का ग्रेड-II	सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में अथवा आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड II में अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के साहफर उप संवर्ग के ग्रेड 2 में अथवा ऊपर के सभी ग्रेडों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो ।	वर्ग II
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग III
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड 'ग' अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग IV
भारतीय विदेश सेवा 'ख' का आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड II	भारतीय विदेश सेवा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VI

1	2	3
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा।	वर्ग VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक आशुलिपिक ग्रेड-II	आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड 'ग' अथवा आसूचना ब्यूरो की आशुलिपिक ग्रेड सेवा के आशुलिपिक II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VIII

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई और उस ग्रेड में उसने कम से कम 4 वर्ष अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

टिप्पणी 1:—ऊपर के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवा कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

परन्तु यह कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिनको संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्ति किया गया हो और जो कालम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

टिप्पणी 2:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वे सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा की शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिये विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वर्ग 1 और वर्ग 5 के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जो भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वर्ग 2 तथा 5 के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. दो वर्गों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में अपनी पसन्द के अनुसार वर्गों का वरीयता क्रम स्पष्ट रूप में लिख दें।

विशेष ध्यान:—उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वर्गों के वरीयता क्रम में परिवर्तन करने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

7. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों; अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो; अथवा

(12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी किया हो, तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है,

आगे

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

(1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न लिया गया हो।

8. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के अनुबन्ध में निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

9. परीक्षा के बाद अंतिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये अंकों के आधार पर आयोग योग्यता क्रम उम्मीदवारों की सूची बनायेगा, और उसी क्रम से जितने उम्मीदवार अर्हता प्राप्त समझे जायेंगे उन्हें अपेक्षित संख्या तक प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल करने के लिये आयोग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।

किन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा की कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उसका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की सूची में शामिल किये जाने के लिये उपर्युक्त हों।

नोट :—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिये सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

10. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिये हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिये अनुशंसित किये गये किसी उम्मीदवार को चयन के लिये अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसकी किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" सूचना ब्यूरो आशुलिपि सेवा के ग्रेड-।।, अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

13. जिन उम्मीदवारों ने 26 अक्तूबर, 1982 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवावधि के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अनुभाग अधिकारी ग्रेड की (रेल बोर्ड) की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में न बैठ सके हों, यदि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अन्तिम रूप से उनकी अनुशंसा की जाती है तो, उनकी वरिष्टता भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

पी. सी. कपूर, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी:—

भाग 1(क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा:—

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी 1:—वर्ग 4, 5, 6 और 7 हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि-परीक्षण देना होगा किन्तु जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं के उत्तर-पत्रकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी 2:—उम्मीदवार को अपने शार्टहैंड नोट्स को टाइप-राइटर पर लिप्यन्तरण करना होगा और ऐसे उद्देश्य के लिए उन्हें अपने टाइप-राइटर साथ लाने होंगे।

भाग 2:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवेक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उनके सेवा अभिलेख का मूल्यांकन जिसके अधिकतम 150 अंक होंगे।]

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा :—

क्र० सं०	विषय
(1)	(2)
(1)	टिप्पणी तथा मसौदा लेखन, लेखनसार
(2)	(i) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग I और II के लिए)
	(ii) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग IV, V और VI के लिए)
	(iii) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग VIII के लिए)
	(iv) कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली (वर्ग III के लिए)
	(v) कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली–I (वर्ग VII के लिए)
(3)	(i) भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का सामान्य ज्ञान, (वर्ग I, II, III और VIII के लिए)
	(ii) भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का सामान्य ज्ञान (वर्ग IV, V, VI तथा VII के लिए)
(4)	(i) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग I और VIII के लिए)
	(ii) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग II के लिए)
	(iii) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग IV के लिए)
	(iv) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग V के लिए)
	(v) रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग III के लिए)
	(vi) रेलवे वित्तीय तथा सेवा नियमावली—I (वर्ग VII के लिए)
	(vii) वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम (वर्ग VI के लिए)
(5)	सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02) (वस्तु परक प्रकार)

प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अधिकतम 100 अंक होंगे और इसके लिए 2 घण्टे का समय दिया जाएगा ।

टिप्पणी :—सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में केवल वस्तु परक प्रकार के प्रश्न हों। विस्तृत विवरण के लिए [जिसमें नमूने के प्रश्न भी दिए गए हैं, कमीशन के नोटिस (अनुबन्ध 2)] उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवरणिका को देखें।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची में दिया गया है।

4. वर्ग 1—7 के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को तथा प्रश्न पत्र (2), (3), (5) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। सभी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (1) तथा प्रश्न पत्र (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

वर्ग 8 के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (3) और (5) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा, प्रश्न पत्र (1), (2) और (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

टिप्पणी 1:—उपर्युक्त सभी तीनों/दोनों प्रश्न-पत्रों के लिए एक ही विकल्प होगा और विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए अथवा एक ही प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग नहीं।

टिप्पणी 2:—उक्त प्रश्न-पत्रों (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने पद इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के कालम 8 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

टिप्पणी 3:—प्रश्न-पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी ब्रैकिट में दे सकते हैं।

टिप्पणी 4:—यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से उत्तर माध्यम का परीक्षा में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

5. वर्ग 4, 5, 6, 7 के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे जो उम्मीदवार, (2) (3) और (5) तीन प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में ही देने का विकल्प देंगे, उन्हें आशुलिपिक परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि परीक्षा भी अंग्रेजी में देनी होगी।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 50/65 मिनट में लिप्यंतर करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिये नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक अस्पष्ट लिखाई के लिये काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात्, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

जहां नियमों, आदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

टिप्पण तथा मसौदा, लेखन, सार लेखन

उम्मीदवारों को विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में टिप्पण तथा मसौदे तैयार करने होंगे और साथ ही सारांश अथवा सार के लिए पैराग्राफ भी प्रश्न-पत्रों में रखे जाएंगे।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग 1, 2, 4, 5 और 6 के लिए)

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(2) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

(3) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका। भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग 8 के लिए)।

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है:—

(1) अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(2) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां

(3) आसूचना ब्यूरो के स्थाई आदेश

कार्यालय पद्धति और कार्य प्रणाली (वर्ग 3 और 7 के लिए)

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है:—

(1) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(2) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों की पुस्तिका"।

भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी:—यह आशा की जाएगी कि निम्नलिखित विषयों का ज्ञान हो—(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत (2) लोक सभा तथा राज्य सभा में कार्य संचालन तथा पद्धति विषयक नियम (3) भारत सरकार की कार्य प्रणाली का आयोजन—मंत्रालयों, विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनके बीच विषयों को आबंटित करना और उनके परस्पर सम्बन्ध।

सामान्य वित्तीय तथा सेवायें नियम (वर्ग 1, 4 और 8 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकों की अनुशंसा की जाती है :—

(1) मूल तथा अनुपूरक नियम (ए. जी. पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन अथवा स्वामी संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964

(4) केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(5) सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) 1963

(6) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1978

(7) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972।

सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 2 और 5 के लिए) निम्नलिखित पुस्तकें अनुशासित की जाती है :—

(1) वित्तीय तथा पूरक नियम (ए. जी. पी. एण्ड टी. संकलन चौधरी संकलन अथवा स्वामी संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(4) सामान्य वित्तीय नियम (संशोधित तथा बृहत) संकलन, 1963

(5) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1978

(6) भारतीय विदेश सेवा (पी. एल. सी. ए.) नियम, 1961

(7) भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

(8) सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना

(9) भारतीय विदेश सेवा (आचरण तथा अनुशासन) नियम, 1961।

रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 3 और 7 के लिए) निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(1) भारतीय रेल सामान्य कोड—खण्ड—।

(2) भारतीय रेल स्थापना कोड—खण्ड—।

(3) रेल सेवाएं (आचरण) नियम, 1966

(4) रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील नियम), 1968।

वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम (वर्ग 6 के लिए) निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(1) मूल नियम तथा अनुपूरक नियम (ए. जी. पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन अथवा स्वामी संकलन)

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(3) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(4) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964

(5) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972

(6) वित्तीय विनियम भाग । (संशोधित संस्करण 1963)

सामान्य अध्ययन

प्रश्न पत्र में वर्तमान समय की अभिरुचि तथा महत्व वाले विषय शामिल किये जाएंगे। इनमें पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताओं के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के वर्तमान कार्यों के मेधावी ज्ञान जिसकी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है, का पता लगाने के लिए प्रश्न भी रखे जायेंगे। उम्मीदवारों के उत्तर से प्रश्नों के बारे में उनके मेधावी ज्ञान का पता चलने की आशा की जाएगी, किसी पाठ्य पुस्तक, रिपोर्ट आदि के विस्तृत ज्ञान की नहीं।

वाणिज्य मंत्रालय

काण्डला मुक्त व्यापार जोन प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० 3/2/73-एफ०टी०जैड०(टी०)—दिनांक 24 मई, 1973 तथा 20 जून, 1978 के संकल्प सं० 3/2/73-एफ०टी०जैड०(टी०) में आंशिक संशोधन करते हुए काण्डला मुक्त व्यापार जोन प्राधिकरण नाम से विख्यात एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण का गठन निम्नोक्त रूप में किया गया है :—

(1) वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
(2) अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
(3) अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), खान तथा विद्युत, गुजरात सरकार, गांधीनगर ।	,,
(4) सचिव (श्रम), गुजरात सरकार गांधीनगर ।	,,
(5) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।	,,
(6) सदस्य (सीमा शुल्क), केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व तथा बीमा विभाग, नई दिल्ली ।	,,
(7) वित्तीय सलाहकार (वाणिज्य), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ।	,,
(8) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
(9) अध्यक्ष, काण्डला पत्तन ट्रस्ट, गांधीधाम ।	,,
(10) उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।	,,
(11) संयुक्त सचिव/काण्डला मुक्त व्यापार जोन प्रकोष्ठ के प्रभारी निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।	,,
(12) विकास आयुक्त, काण्डला मुक्त व्यापार जोन ।	सदस्य—सचिव
(13) संयुक्त सचिव, प्रमुख पत्तनों के प्रभारी, जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
(14) संयुक्त सचिव, नगर विमानन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	,,
(15) सदस्य दूरसंचार, दूर संचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	,,

2. प्राधिकरण के विचारार्थ विषय निम्नलिखित प्रकार हैं :—

(1) काण्डला मुक्त व्यापार जोन के कार्यकरण की समीक्षा करना तथा ऐसे निदेश देना जो वह जोन में पहले से स्थापित उद्योगों के उचित कार्य-संचालन के लिए और सही दिशा में जोन के विकास के लिए ठीक समझे । प्राधिकरण की बैठक वर्ष में दो बार नई दिल्ली तथा काण्डला में बारी-बारी से होगी ।

(2) अतिरिक्त राजकोषीय तथा अन्य रियायतों के बारे में निर्णय लेना जो स्थानीय दशाओं को तथा विश्व के अन्य भागों में, जहां सफलता मिली है, मुक्त व्यापार जोनों में उद्यमियों को उपलब्ध रियायतों को देखते हुए ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए और जोन में औद्योगिकीकरण का गति में तेजी लाने के लिए आवश्यक हों; और

(3) काण्डला मुक्त व्यापार जोन के बारे में नीति संबंधी ऐसे विषयों पर कार्यवाही करना जिन पर उच्च स्तर पर ध्यान दिया जा रहा हो तथा जो उसे काण्डला मुक्त व्यापार जोन द्वारा भेजे जाएं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित को भेजी जाए ।

(वाणिज्य विभाग)

सं० 14/12/82-ई०पी०जेड०—इस मंत्रालय के दिनांक 25-1-84 की सं० 14(12)/82-ई०पी०जेड में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने एन० ई० पी० जेड० प्राधिकरण (एन०ई०पी०जेड०ए०) का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । एन० ई० पी० जे० प्राधिकरण नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र निर्माण, वृद्धि और विकास के लिए नीति संबंधी सभी मुख्य मामलों के संबंध में कार्यवाही करेगा ।

एन० ई० पी० जेड० ए० का गठन नीचे दिये अनुसार होगा :—

2. गठन

1. वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2. उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

3. मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली प्रशासन ।	सदस्य
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
5. सचिव (आर्थिक कार्य विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6. सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8. सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार	सदस्य
9. सचिव, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, भारत सरकार	सदस्य
10. सदस्य (परिवहन), रेलवे बोर्ड	सदस्य
11. अध्यक्ष, डाक तथा तार बोर्ड	सदस्य
12. अध्यक्ष, नोएडा	सदस्य
13. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग में ई० पी० जेड० के प्रभारी, भारत सरकार	सदस्य
14. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
15. मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, भारत सरकार	सदस्य
16. अध्यक्ष (सी०बी०ई० सी०), वित्त मंत्रालय	सदस्य
17. अध्यक्ष, आई० डी० बी० आई०	सदस्य
18. डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, विनियम नियंत्रण विभाग	सदस्य
19. विकास आयुक्त, नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन	सदस्य- सचिव

5. प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकार है कि वे किसी भी अन्य विभाग/एजेंसी के किसी भी ऐसे प्रतिनिधि को तदर्थ आधार पर सहयोजित करें, जिसका सहयोग इसके कार्य में आवश्यक समझा जाए और जब कभी आवश्यक हो तो वे उप-समितियां नियुक्त करें ।

आर० सेतुरामन, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1986

आदेश

विषय :—आयल इंडिया लि० को अण्डमान अपतट में 10900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस देना ।

सं० ओ-12012/46/84-ओ०एन०जी०डी०4—इस मंत्रालय के दिनांक 24-1-1986 के समसंख्यक आदेश के आंशिक संशोधन के के रूप में, पैरा 1 की 7वीं पंक्ति में प्रकाशित पी०ई०एल० की प्रभावी तिथि अर्थात् "1-3-86" के स्थान पर "1-5-86" पढ़ा जाय ।

लाइसेंस की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है ।

भारत के राष्ट्रपति के नाम पर और उनके आदेश से ।

आदेश

विषय :—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (बी०ओ०सी०) को बी-17 संरचना में 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ-12012(4)/84-प्रौड—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जो इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बी-17 संरचना में 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 24-10-85 से 31-12-85 की अवधि के लिए स्वीकृति देती है ।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये है । लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कंन्डेसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग

किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :–

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में लिखित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यक्त तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहियें।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

सूची "क"

1. संरचना बी-17
2. पी०ई०एल० क्षेत्र 195 वर्ग किलोमीटर
3. भूगोलिकीय विवरण :—

प्वाइंट	रेखांश	अक्षांश
ए	71° 32″ 57.86″ ई	19° 26″ 9.86″ एन
बी	71° 42″ 25.72″ ई	19° 26″ 9.86″ एन
सी	71° 42″ 25.72″ ई	19° 18″ 17.26″ एन
डी	71° 37″ 47.14″ ई	19° 18″ 17.26″ एन
ई	71° 32″ 57.86″ ई	19° 23″ 0.82″ एन

4. जल की गहराई-73 मीटर
5. भूमि पर प्रमुख स्थानों से लगभग दूरी
बम्बई-200 किलोमीटर
देहरादून-210 किलोमीटर
6. खुदाई की तिथि—अन्वेषी योजनाओं (25-8-83 को) 1983-85 के अनुसार स्थान पर कार्रवाई मार्च, 1984 में शुरू की जायेगी।
7. क्या हाइड्रोकार्बनों बी-17 संरचना योजना के अन्तर्गत आती है। 1983-85 के खुदाई कार्यक्रम में हाइड्रोकार्बनों की का भाग है या नहीं क्षमताओं का लाभ उठाना है।

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर
माह तथा वर्ष
क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख--केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग--प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्त:करण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर----------

भारत के राष्ट्रपति के नाम और उनके आदेश से।

दिनांक 27 मई 1986

आदेश

विषय :-- अण्डमान अपतटीय क्षेत्र के ब्लाक सं०1 में 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए ओ०एन०जी०सी० को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

सं० ओ-12012(77)/85—ओ० एन० जी० डी०11/1--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अंडमान (अपतटीय) क्षेत्र के ब्लाक संख्या 1 में 7500 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की सम्भावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 1-3-86 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। जिसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :--

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेसेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000-/रुपये की धन-राशि प्रतिभूति के रुप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1 लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2 लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3 लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4 लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5 लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रुप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रुप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्ययधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी नियारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषण आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये सारी मिट्टिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिये।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ड) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़े की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

(च) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(छ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अण्डमान अपतट में ब्लाक संख्या 1 में 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

1 क्षेत्र	पूर्व रेखांश में 92° 40″ और 93° 40″ और उत्तरी अक्षांश में 10° 50″ और 11° 40″ के अन्दर सीमाबद्ध अण्डमान अपतटीय (पूर्वी) भाग।
2 पी०ई०एल० क्षेत्र की परिसीमा	7500 वर्ग किलोमीटर
3 सीमावर्ती बिन्दुओं के भूगौलिकी विवरण (नक्शे में दिखाये गये)	पाइंट ए 92° 45″ 08″ ई 10° 52″ 57″ एन पाइंट बी 93° 39″ 38″ ई 10° 52″ 57″ एन पाइंट सी 93° 39″ 38″ ई 11° 37″ 39″ एन पाइंट डी 92° 45″ 21″ ई 11° 37″ 39″ एन पाइंट ई 92° 44″ 02″ ई 11° 28″ 49″ एन पाइंट एफ 92° 45″ 08″ ई 11° 12″ 39″ एन
2 भूमि पर तीन महत्वपूर्ण स्थानों से दूरतम बिंदु (पाइंट-बी) की लगभग दूरी।	पोर्ट ब्लेयर—127 किलोमीटर हेनरी लारेन्स—132 किलोमीटर रटलेंड आई एस—122 किलोमीटर
3 क्षेत्र में उपरिवर्ती जल की लगभग गहराई	50 से 400 मीटर
4 अन्वेषी खुदाई के शुरू होने की प्रत्याशित तिथि	1 मार्च, 1986
5 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और विदेशी राज्य की सीमा से संरचना (पी०ई०एल० के अन्तर्गत क्षेत्र) की लगभग दूरी।	सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय सीमा की ओर 80 किलोमीटर से अधिक।
6 खुदाई/अन्वेषी गतिविधियों के दौरान काम पर लगाई गई विदेशी फर्म/विदेशियों के नाम	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का अपना ड्रिलशिप है। इस शिप पर काम करने के लिए कुछेक विदेशियों के लिए सुरक्षा संबंधी अनुमति गृह मंत्रालय से ले ली गई है।

अनुसूची-ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल : वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलोलीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कण्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर----------

भारत के राष्ट्रपति के नाम और उनके आदेश से।

के० ग्री० काटोच, डेस्क अधिकारी

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1986

सं० 13011/2/83-अृण—2—खरीफ 1985 मौसम से देश में व्यापक फसल बीमा योजना (1985) को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए एक केन्द्रीय फसल बीमा निधि स्थापित करने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय सरकार (कृषि और सहकारिता विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निधि का संचालन केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

निधि के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से फसल बीमा प्रीमियम प्राप्त करना और प्रीमियम के राजसहायता के अंश को केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त करना तथा पालिसियां जारी करना।

(ख) दावों की संवीक्षा करना और उनका निपटान करना।

(ग) समस्त लेन-देन का उचित लेखा रखना तथा निर्धारित समयान्तराल में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को लेखा प्रस्तुत करना।

(घ) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार उपलब्ध निधि को सम्भालना तथा कार्यों पर लगाना और यथा निर्देशित तरीके से आय का इस्तेमाल करना।

(च) राज्य निधियों को समग्र रूप से तकनीकी मार्गदर्शन देना।

(छ) व्यापक फसल बीमा योजना से सुसंगत सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना।

(ज) राज्य सरकारों की आवश्यक विपणन और प्रचार प्रयासों के लिए किए जाने वाले कार्यों में उनके साथ सहयोग करना और उन्हें तकनीकी सहायता देना और जहां कहीं भी सम्भव हो फसल बीमा की कृषि विस्तार कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ना।

निधि के संचालन के प्रयोजन के लिए भारतीय सामान्य बीमा निगम निम्नलिखित आदेशों का पालन करेगा और उसे निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :—

1 बीमा के लिए घोषणाएं स्वीकार करना और समय-समय पर यथा संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना के उपबन्धों के अनुसार बीमा के प्रमाण-पत्र जारी करना। सामान्य बीमा निगम ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में आवश्यक रिकार्ड और लेखा रखेगा।

2 फसल बीमा के सम्बन्ध में बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्रीमियम या अन्य प्रभारों के रूप में निधि एकत्र करना और समय समय पर सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों के अनुसार धन को निक्षेप में रखना या पूंजी निवेश में लगाना। पूंजी निवेश के फलस्वरूप कोई भी आय योजना के अधीन फसल बीमा व्यापार में किये गये कारोबार की आय के रूप में जमा होगी।

3 सामान्य बीमा प्रणालियों के अनुसार दावों की अधिसूचना प्राप्त करना दावों पर कार्रवाई करना और उन्हें निपटाना।

4 राज्य फसल बीमा निधियों को बीमा योजना में उनके शेयर के सम्बन्ध में लेखों का विवरण देना और उन्हें शेयर देय का भुगतान करना या वसूलियां प्राप्त करना जो ऐसे व्यापार के सम्बन्ध में देय हों।

5 केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय फसल बीमा निधि के सम्बन्ध में यथा निर्धारित और यथा लेखा परीक्षित लेखा देना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6 योजना के संचालन के लिए व्यय करना और ऐसे व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार से वसूल करना। शेष 50 प्रतिशत जैसा भी मामला हो निगम या उसकी सब्सिडियों के प्रबंध

पर व्यय समझा जाना चाहिए और इसे सामान्य बीमा निगम के लाभ व हानि लेखा में लाभ पर प्रभार के रूप में लेखे डाला जाना चाहिए।

7 यदि फसल बीमा योजना में केन्द्रीय सरकार के शेयर से सम्बन्धी निवल राशि से किये जाने वाले दावों का भुगतान अधिक हो गया हो तो केन्द्रीय सरकार आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामान्य बीमा निगम को ऐसे दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि तत्काल देगी।

8 सभी आवश्यक कार्रवाईयां करना और फसल बीमा योजना के प्रचालन के सम्बन्ध में सभी कानूनी कार्रवाईयों के लिए दावा करना या उनका प्रतिवाद करना।

9 कुल मिलाकर सभी ऐसी कार्रवाईयां करना जो फसल बीमा योजना के कुशल कार्य संचालन के लिए आवश्यक हैं।

10 उपर्युक्त अनुदेश और प्राधिकार तब तक लागू रहेंगे जब तक इनमें संशोधन अथवा अनुवर्ती पत्रों द्वारा इनकी अवधियों को बढ़ाया नहीं जाता।

के० आर० नायर, संयुक्त सचिव

मानव संसाधान विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1986

संकल्प

सं० 1-1/86-सी०डब्ल्यू०—राष्ट्रीय बाल नीति संकल्प दिनांक 22 अगस्त, 1974 के उपबन्धों के अनुसरण में, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सेवाओं का आयोजन और पुनर्विलोकन तथा समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्र और मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर, 1974 को एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना की गई थी।

2 राष्ट्रीय बाल बोर्ड का 4 अप्रैल, 1984 को पुनर्गठन किया गया था।

3 राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना करने वाले पहले के आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति नीचे दिए अनुसार राष्ट्रीय बाल बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं :—

1	प्रधानमंत्री	: अध्यक्ष
2	मानव संसाधान विकास मंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
3	वित्त मंत्री	सदस्य
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
5	श्रम मंत्री	सदस्य
6	कल्याण राज्य मंत्री	सदस्य
7	शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री	सदस्य
8	युवा कार्यक्रम, खेल तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री	सदस्य
9	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
10-19	बाल कल्याण का अनुभव रखने वाले 10 गैर सरकारी सदस्य	
10	अध्यक्ष इंडियन एकाडमी आफ पीडियाट्रिक्स,	सदस्य
11	अध्यक्ष भारतीय बाल कल्याण परिषद्	सदस्य
12	श्रीमती तारा अली बेग आर-8, हौज खास, नई दिल्ली-16	सदस्य
13	डा० सी० गोपालन डायरेक्टर जनरल न्यूट्रीशन फाउंडेशन आफ इण्डिया बी-37, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-49	सदस्य
14	डा० बी० एन० टंडन हैड, ह्यूमन न्यूट्रीशन यूनिट, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
15	श्री हरि डांग प्रिंसीपल, आर्मी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली	सदस्य
16	फादर पलेसिडो फोनसिका स्नेह सदन चाकाला, अंधेरी ईस्ट, बम्बई	सदस्य
17	श्रीमती शहाबुद्दीन अहमद अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण महिला संघ पाम स्प्रिंगस, हुमायूं नगर, हैदराबाद	सदस्य
18	श्रीमती शोभना रणाडे 798, भण्डारकर इन्स्टीच्यूट रोड़ डेकन जीम खाना, पुणे महाराष्ट्र	सदस्य
19	डा० के० डी० गंगराडे समाज कार्य विभाग दिल्ली यूनीवर्सटी, दिल्ली-7	सदस्य
20-24	राज्य सरकारों के बाल कल्याण के कार्य से सम्बन्धित पांच मंत्री : सदस्य	
20	बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, नागालैंड	सदस्य
21	बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल बंगाल	सदस्य
22	बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, पंजाब	सदस्य
23	बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, राजस्थान	सदस्य
24	बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, तामिलनाडु	सदस्य
25	प्रशासक दादरा एण्ड नगर हवेली	सदस्य
26-27	लोक सभा के दो सदस्य	
26.	श्रीमती किशोरी सिन्हा बोरिंग रोड़, पटना बिहार	सदस्य
27	श्री एम० सोन्द्राराजन उपायुर, डाकखाना विथु नगर, कामराज जिला, तामिलनाडु	सदस्य
28	राज्य सभा का एक सदस्य श्री ए० के० ऐंटोनी के०पी०सी०सी० (आई) आफिस नन्दावनम जंकशन तिरुवेन्द्रम	सदस्य

29. अध्यक्षा — सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
जीवन दीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली

30. निदेशक — सदस्य
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31. सचिव — सदस्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

4 बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

1 (1) बच्चों के कल्याण के बारे में गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन पुनर्विलोकन तथा उनके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

(2) बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा किए गए प्रयत्नों का समन्वय और एकीकरण करना।

(3) वर्तमान सेवाओं में अन्तरालों का पता लगाने तथा उन अंतरालों को दूर करने के लिए उपाय का सुझाव देना।

(4) विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उन के बारे में समय-समय पर सुझाव देना तथा बच्चों के कल्याण के कार्य के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता के प्रतीक के रूप में उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करना।

(5) बोर्ड की एक स्थाई समिति होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1	युवा कार्यक्रम, खेल तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री	अध्यक्षा
2	वित्त राज्य मंत्री	सदस्य
3	बाल कल्याण के कार्यभारी सदस्य योजना आयोग	सदस्य
4.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण उपमंत्री	सदस्य
5.	बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, तामिलनाडु	सदस्य
6.	अतिरिक्त सचिव स्कूल (शिक्षा) शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	अतिरिक्त सचिव और परिवार कल्याण कमिश्नर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	अध्यक्षा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	सदस्य
9.	निदेशक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	सदस्य
10.	अध्यक्ष भारतीय कल्याण परिषद्	सदस्य
11.	सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव

(6) बोर्ड तथा बोर्ड की स्थाई समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(7) महिला एवं बाल विकास विभाग में एक एकक पहले बोर्ड तथा बोर्ड के स्थाई समिति का सचिवालय होगा।

(8) साधारणतया बोर्ड की एक वर्ष में एक बैठक तथा स्थाई समिति की एक वर्ष में दो बैठकें होंगी।

(9) बोर्ड तथा स्थाई समिति के गैर सरकारी सदस्य नियमों के अन्तर्गत उपबन्धित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

आदेश

आदेश किया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मधु सूदन दयाल, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास विभाग

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17/29 जनवरी 1986

संकल्प

सं० इले०आई०/11(15)/83-पेनल—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथी से 2 वर्ष की अवधि के लिए लैम्प, फिटिंग और घटक उद्योगों के लिए विकास नामिका का निम्न प्रकार से संरचना की है :—

1. श्री सी०एल० आनन्द, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब आनन्द लैम्प, चण्डीगढ़। — अध्यक्ष
2. श्री के०के० तनेजा, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली। — सदस्य
3. प्रतिनिधि विकास आयुक्त/लघु उद्योग। — ,,
4. प्रतिनिधि, एन एम टी लैम्प एकक। — ,,
5. प्रतिनिधि, आई एम आई। — ,,
6. प्रधान, इलैक्ट्रिक लैम्प एवं कम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया। — ,,
7. श्री एम०आर० आनन्द, तकनीकी निदेशक, सिल्वेनिया एवं लक्ष्मन लि०, नई दिल्ली। — ,,
8. श्री थापन के० राम प्रबंध निदेशक बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लि०, कलकत्ता। — ,,
9. श्री आर० रामा सुब्रम, निदेशक, पाइको इलेक्ट्रोनिक्स एवं इलैक्ट्रिकल लि०, बम्बई। — ,,
10. श्री एस० शानमुगम, प्रबंध निदेशक, मेटल लैम्प कैपस इंडिया लि०, बंगलौर। — ,,
11. प्रतिनिधि, औद्योगिक विकास विभाग। — ,,
12. प्रबंध निदेशक, इलैक्ट्रिक कन्स्ट्रक्शन एवं इक्विपमेंट कं०लि०, नई दिल्ली।
13. प्रबंधक निदेशक, अपार्ट प्रा० लि०, बड़ोदा। — ,,
14. प्रबंध निदेशक, कल्पना लैम्प कम्पोनेंटस,
15. श्री के०सी० शर्मा विकास अधिकारी, सी एल ई निदेशालय, डीजीटीडी, नई दिल्ली। — सदस्य-सचिव

नामिका के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है :—

1. इस क्षेत्र में हुए समसामयिक विकासों के अनुरूप विभिन्न किस्म के विद्युत लैम्पों और फिटिंगों और उनके घटकों तथा इनके विनिर्माण की मशीनरी के लिए विकास प्रौद्योगिकी बनाना।
2. घरेलू मांग के सुधार लाने और नये निर्यात बाजारों के बारे में उद्योग में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए बेहतर उत्पादों एवं उत्पादन तकनालाजी की मांगों एवं तरीकों का मूल्यांकन करना।
3. अपेक्षित बड़े निवेशों का अनुमान लगाना और उपलब्धता किस्म एवं मूल्य के बारे में और अच्छे निवेशों से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाना।
4. लैम्पों, फिटिंगों एवं घटकों के अधिक उत्पादन में आने वाले बाधाओं को हटाने एवं उनके बारे में सुझाव देना।
5. वर्तमान तकनालांजी एवं तकनालांजी विकास का मूल्यांकन करना जिससे तकनालोजी का सुधार और मूल्यों में कमी हो सके।
6. अन्य कोई संगत विषय।

सचिवालय संबंधी सेवायें तकनीकी विकास महानिदेशालय प्रदान करेगा। नामिका का मुख्यालय तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यालय में रहेगा।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० गढ़वाल, निदेशक (प्र०) एवं मु०स० अधिकारी

परिवहन मंत्रालय

रेल विभाग (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1986

सं० ई० आर० बी०—1/85/6/20—दिनांक 8-10-85 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक आशोधन करते हुए रेल विभाग ने विनिश्चय किया है कि आगे से रेलवे बोर्ड कार्यालय में पदों के लिए निम्नलिखित पदनाम एक समान रूप से प्रयुक्त किए जाने चाहिए :—

क्रम सं० पद का वेतनमान	संशोधित पदनाम
1. 2500—2750 रु० के वेतनमान में संगठित रेलवे सेवा के अधिकारी	कार्यकारी निदेशक
2. 2250—2500 रु० के वेतनमान में संगठित रेल सेवा के अधिकारी	अपर कार्यकारी निदेशक
3. 2000—2500 रु०/20000 2250 रु० के वेतनमान में अन्य सेवा/रे० बो० स० से० के अधिकारी	निदेशक/संयुक्त सचिव (यथास्थिति)
4. 1500—2000 रु० के वेतनमान में संगठित रेल सेवा/रे० बो० स० से० के अधिकारी	संयुक्त निदेशक/उप सचिव (यथास्थिति)
5. 1100—1600 रु०/1200-1600 रु० के वेतनमान में संगठित रेल सेवा/रे० बो० स० से० के अधिकारी	उप निदेशक/अवर सचिव (यथास्थिति)
6. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रति-नियुक्ति पर आए जन सम्पर्क अधिकारी	उनके वेतनमान के अनुरूप सूचना एवं प्रसारण से संबंधित पदनाम होना चाहिए। तदनुसार, निदेशक जन-सम्पर्क का पदनाम बदलकर उप प्रेस सूचना अधिकारी (रेलवे) कर दिया जाये।

2. ऐसे पदों के पदनाम (जैसे प्रधिकसलाहकार, विधि सलाहकार आदि) जो अलग आदेशों या भर्ती नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए थे, वे पहले की तरह बने रहेंगे।

ए० एन० बोस

सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1986

संकल्प

सं० यू०—23013/11/84-एल० डब्ल्यू०—तारीख 22 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के तारीख 22-1-1986 के संकल्प संख्या यू०—23013/11/84 एल० डब्ल्यू० (ii), जो देश में मैंगनीज में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति के गठन से संबंधित है, के पैरा 2 का आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

"उक्त संकल्प के क्रमांक 7 पर "श्री के० पी० मेहता, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चण्डीगढ़-सदस्य संयोजक" अक्षरों और शब्दों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
"प्रादेशिक श्रम आयुक्त,
(केन्द्रीय),
कोठी नं०—155, सैक्टर 38-ए,
चण्डीगढ़ . . . . सदस्य संयोजक

आदेश

उक्त संकल्प की प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के सभी सदस्य।
2. इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (इस्पात विभाग), नई दिल्ली।
3. इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (खान विभाग), नई दिल्ली।
4. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली—3।
5. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कोठी नं०—155, सैक्टर—38-ए, चंडीगढ़। तारीख 22-1-1989 के संकल्प की एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।
6. श्री ए० एन० धर्माधिकारी, उप महा प्रबंधक (तकनीकी), मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड, 3 माउंट रोड एक्सटेंशन, नागपुर—440001
7. श्री सुरेश चन्द, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नया सचिवालय भवन, नागपुर।
8. श्री एस० के० सन्याल वर्किंग प्रेसीडेंट, इंडियन माईन वर्कर्स, फेडरेशन मोरताला, नागपुर—13।
9. श्री एम० दासगुप्ता जनरल सेक्रेटरी, इंडियन नेशनल माईन वर्कर्स फेडरेशन, राजेन्द्र पथ, कटरास रोड, धनबाद।
10. श्री ए० खालिक, मुख्य कार्मिक प्रबंधक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 10-3-311/ए० कास्टे हिल्स मसन टैंक, हैदराबाद—500038।
11. श्री टी० आर० गोयंका, गोयंका मिनरल्स (प्रा०) लि०, "शीलनिवास" पोस्ट बाक्स सं०—271, 1082, वैस्ट हाई कोर्ट रोड, नागपुर—440010।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र भाग-I, खण्ड I में प्रकाशित किया जाए।

पी० वी० महिषी, उप सचिव

भारत सरकार और सचिव केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

पी० वी० महिषी, उप सचिव,
भारत सरकार और सचिव केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1986

सं० क्यू०-16011/3/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार, कुमारी मीरा सेठ, भूतपूर्व अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के स्थान पर श्री अजीत सिंह, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में 11 मार्च, 1986 से नामित करती है।

सं० क्यू०-16011/3/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iii) के साथ पठित नियम 3(ii) के अनुसरण में, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय में भूतपूर्व अपर सचिव, कुमारी मीरा सेठ के स्थान पर श्री अजीत सिंह, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को 11 मार्च, 1986 से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०-16012/3/79-डब्ल्यू० ई०, दिनांक 8/15 मई, 1981 में (समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर अर्थात्,

"2. "कुमारी मीरा सेठ,
अपर सचिव, श्रम मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली"।

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"2. श्री अजीत सिंह,
अपर सचिव, श्रम मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली"।

आर० एन० पुरी, उप सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 27th May 1986

RESOLUTION

No. F. 4(1)/85-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 4th September, 1985, Smt. Shiela Dixit, Minister of State for Parliamentary Affairs, will be the Member of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs *vice* Shri Ghulam Nabi Azad, Minister of State for Parliamentary Affairs.

D. R. TIWARI, Dy. Secy.

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 26th May 1986

No. M-13011/1/85-NSS-II.—In partial modification of Government of India, Department of Statistics Notification No. M-13011/1/82-NSS-II dated 18th January, 1985, the following are appointed as Members of the Governing Council for the National Sample Survey Organisation :—

Non-official

A. Dr. Atul Goswami, Professor of Economics, University of Dibrugarh *vice* Dr. B. D. Sharma, Vice-Chancellor, North Eastern Hill University, Shillong since appointed Commissioner for SC & ST.

Official

B. Officer-in-charge, Reserve Bank of India, Bombay *vice* the Principal Adviser, Reserve Bank of India.

2. The term of their appointment shall be for the unexpired period of two years' term of their predecessors i.e. upto the 19th November, 1986

MAHENDRA NATH, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi-1, the 21st June 1986

RULES

No. 10/3/85-CS. II.—The rules for competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Department of Personnel and Training), New Delhi, once every two months during the year 1986, on Saturday and Sunday and if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service are published for general information.

2. The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission if necessary. The Reservations will be made for candidates who are, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

(i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred of the reserve pending such release or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request, after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) The physically handicapped persons means only an Orthopaedically handicapped and are those who have a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

No scribe will be allowed to the physically handicapped and other categories of persons appearing in the examination.

(iii) Scheduled Castes/Tribes mean any of the castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order. 1950, the Constitution (Scheduled Tribes), Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (modification) Order 1956, Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 the Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadara and Nagar Haveli)

Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pendicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, (Amendment) Act, 1976 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the staff Selection Commission, in the manner prescribed by in the appendix-I to these Rules. For the purpose of admission the candidates will be-required to submit applications, on plain paper as in the form given in appendix-II, which after due scrutiny, will be forwarded by the Ministry/Department/Office concerned to the Staff Selection Commission latest by the 1st of the Month preceding the month in which the examination is to be held.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/UDC of the Central Secretariat Clerical Service, shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

4.(1) Length of Service : He should have, on the 'crucial date'. [as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D' (Competitive Examination) (Regulations, 1969)] rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1 : The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3 : Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means, an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) Age : A candidate for this examination should not be more than 50 years of age on the 'crucial date' [as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers Service Grade 'D' (Competitive Examination) (Regulations, 1969)].

(3) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen who have put in not less than six months continous service after attestation, in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vavancies.

Note : The Period of 'called up service' of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 3 above.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable.

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian Origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963.

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operation during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiv) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and also a bona-fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975 and

(xv) upto a maximum of ten years if the candidate is physically handicapped person, i.e. Orthopaedica handicapped and partially deaf.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED

6. A candidate who fails in the examination will not be gible to take the next examination but only that following next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the prescribed fee of Rs. 8/ (Rupees eight only) for general Candiates either by postal orders or bank draft.

(No fees are payable by Ex-servicemen, S.C. & S.T. and physically handicapped candidates).

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examinatiion.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :-

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script (s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodly harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be dispualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or;

(b) to be debarred either permanently or for a specified period.

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in one list, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of those candidates for selection of merit at the examination.

NOTE :-Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade 'D' of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade 'D' on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shalll be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them, regarding the result.

13. Success in the examination confers no right to selection, unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severes his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

(H.G. MANDAL)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF

APPENDIX-I

Candidates will be given one dictation sett in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes and the candidates who opt to take the test in Hindi will be repuired to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

NOTE : Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be repuired to learn English Stenography and vice versa, after their appointment.

2. Candidates will be repuired to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose, they will be required to bring their own typewriters with them.

APPENDIX-II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE 'D' STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMINATION

Closing Date : 1st of the month previous to the month of the Examination.

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted there. Another signed photograph should be firmly attached to the application.

1. Particulars of Postal Orders / Bank Draft and the value.

2. Name of the candidate (in capital letters).

Shri Smt./Kum.

3. Exact date of birth (in Christian Era).

4. Name and address of office where working.

5. Are you a

(i) Scheduled Caste

(ii) Scheduled Tribe

(iii) Ex-Serviceman.

(iv) Physically handicaped person?

Answer 'Yes' or 'No'

6. (i) Father's name
(i) Husband's name (in case of lady candidate)

7. State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test.

8. Whether appeared in the previous Examination, if so, indicate the month and Roll No.

(9) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the Lower Dvision Grade/Upper Dvision Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years approved & continuous Service in the relevant grade on the 1st January of the year in which the examination is held.

(10) In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authorty, or the ex-cadre post is on transfer basis. State whether you continue to hold a lien on the previous post.

Signature of Candidate.

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF

THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS SERVING

Certified that :-

(i) the entries made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) his application has been scrutinised and if in certified that he fulfils all the conditions laid down in the rules and is eligible in all respects to appear the examination.

Signature :
Name :
Designation :
Deptt./office :

No.
Date.

Note :-A candidate who once fails can take the examination only after another three months, i.e. a candidate who fails in the examination to be held in April, can take the examination to be held in August or Subsequently.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING RULES

New Delhi, the 21st June 1986

No. 5/17/86-CSI.—The rules for a Combined S. Os. Stenographers (Grade "B"/Grade-I) Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in 1986 for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' Grade I/Grade B of the Services mentioned below are with the concurrence of the Ministries concerned published for general information.

Category I

Section Officers Grade of the Central Secretariat Service.

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II and III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service.

Category IV

Grade B of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V

Grade I of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category VI

Grade B of the Armed Forces Headquaters Stenographers' Service.

Category VII

Grade B of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix-I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary officers of the grades and services mentioned in column 1 below who on 1st July 1986 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
(1)	(2)	(3)
Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category I
Grade IV of the General Cadre, Grade II of the Stenographers' cadre and Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade IV of the general cadre or in Grade II of the Stenographers' cadre or in Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in two or in all the above grades, as the case may be.	Category II
Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be.	Category III
Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Category IV

(1)	(2)	(3)
Grade II of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II of the Stenographers' cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Category V
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Category VI
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Category VII
Assistant/Stenographers Grade II of I. B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Assistants' Grade of I. B/Stenographers Grade II of I. B. Stenographers' Service	Category VIII

Provided that in the case of a candidate who had been appointed to the Grades mentioned in Column 1 above on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade.

NOTE 1.—Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible, and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in Column 2.

This however, does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre post or to another Service on "transfer" and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1.

NOTE 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariate Stenographers Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch B and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

NOTE 3.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4. A candidate competing for two categories should specify in his application the Categories for which he wishes to be considered in the order of preference.

N.B.—No request for alteration in the order of preference for the Categories originally indicated by a candidate in his application would be considered unless a request for such alteration is received in the Office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the written examination in the Employment News.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or Pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period.

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them: and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under the rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for each category up to the required number.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for each category irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severes his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/Intelligence Bureau or Stenographer Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Grade II of the I. B. Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service Branch 'B' will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

13. The seniority of candidates who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination(s) and Section Officer Grade (Railway Board) Limited Departmental Competitive Examination(s) held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officer's Grade on the results of the examination.

P. C. KAPOOR
Under Secretary

APPENDIX-I

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I. (a) Written examination carrying a maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

(b) A qualifying Shorthand test in Hindi or in English at 100 w.p.m.

NOTE I.—All the candidates competing for Categories IV, V, VI and VII will be required to take qualifying shorthand test at the time of the written examination. However, the scripts of only those candidates who qualify at the written examination will be valued.

NOTE II.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriter with them.

Part II.—Evaluation of record of service of candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examinations as may be fixed by the Commission at their discretion, carrying a maximum of 150 marks.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of Services will be required to take the written examination, will be as follows :—

S. No.	Subject
1	2
(1)	Noting and Drafting, Precis Writing.
(2)	(i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Categories I & II)
	(ii) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Categories IV, V & VI)
	(iii) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Category VIII)
	(iv) Office Procedure & Practice. (For Category III)
	(v) Office Procedure & Practice. (For Category VII)
(3)	(i) General Knowledge of the Constitution of India and the Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament. (For Categories I, II, III & VIII)
	(ii) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament. (For Categor is IV, V, VI & VII)
(4)	(i) General Financial & Service Rules. (For Categories I & VIII)
	(ii) General Financial & Service Rules. (For Category II)
	(iii) General Financial & Service Rules. (For Category IV)
	(iv) General Financial & Service Rules . (For Category V)
	(v) Railway Financial & Service Rules. (For Category III)
	(vi) Railway Financial & Service Rules. (For Category VII)
	(vii) Financial Regulations & Service Rules. (For Category VI)
(5)	General Studies (Code No. 02) (Objective Type)

Each paper will carry a maximum of 100 marks and will be of 2 hrs duration.

NOTE.—The paper in General Studies will consist of objective type questions only. For details including sample questions please see Candidates' Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure-II).

3. Syllabus for the examination will be as shown in the Schedule.

4. Candidates competing for Categories I to VII are allowed the option to answer papers (2), (3) and (5) either in English or in Hindi (Devanagari). Paper (1) and paper (4) must be answered in English by all candidates. Question papers will be set in English only.

Candidates competing for Category VIII are allowed the option to answer papers (3) and (5) either in English or in Hindi (Devanagari). Papers (1), (2) and (4) must be answered in English. Question papers will be set in English only.

NOTE 1.—The option will be the same for all the three/two papers mentioned above and not for different papers or different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Column 6 of the application form otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

NOTE 3.—Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

NOTE 4.—If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

5. Candidates competing for Categories IV, V, VI and VII who opt to answer the three papers (2), (3) and (5) in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Test also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the above papers in English will be required to take the Shorthand Test also in English only.

6. The Shorthand Test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed of 100 words per minute for ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 50/65 minutes.

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

8. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES ORDERS INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UPTO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

In addition to questions requiring candidates to prepare notes and drafts on specific problems, passages may also be set for summary or precis.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES

(For Categories I, II, IV, V & VI)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance in the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by he Ministry of Home Affairs.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES

(For Category VIII)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance on the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) Intelligence Bureau Standing Orders.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE

(For Categories III & VII)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board) and Attached Offices—some guidance on the subject can be obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure issued by the Ministry of Railways (Railway Board) current at the time of the Notification.

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT; PRACTICE AND PROCEDURE IN PARIAMENT

NOTE.—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and subordinate Offices and their relation *inter se*.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories I, IV and VIII)

The following books are recommended :—

(i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&Ts. compilation, Chaudhuri's compilation or Swamy's compilation).

(ii) The Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(iv) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.

(vi) Delegation of Financial Power Rules, 1978.

(vii) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories II & V)

The following books are recommended :—

1. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&Ts. compilation, Chaudhuri's compilation or Swamy's compilation).

2. The Central Civil Services Pension Rules, 1972.

3. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

4. Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.

5. Delegation of Financial Power Rules, 1978.

6. Indian Foreign Service (PLCA) Rules, 1961.

7. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.

8. Assisted Medical Attendance Scheme.

9. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1961.

RAILWAY FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories III & VII)

The following books are recommended :—

(i) Indian Railway General Code Vol. I.

(ii) Indian Railway Establishment Code Vol. I.

(iii) The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

(iv) The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

FINANCIAL REGULATIONS AND SERVICE RULES

(For Category VI)

The following books are recommended :—

(1) Fundamental Rules and Supplementary Rules (A.G.P. & Ts. Compilation, Chaudhuri's Compilation or Swamy's Compilation).

(2) Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(3) Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(4) Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(5) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(6) Financial Regulations Part I (Revised Edition 1963).

GENERAL STUDIES

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plan and Community Development Schemes, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any textbook, reports etc.

MINISTRY OF COMMERCE

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd April 1986

RESOLUTION

No. 3/2/73-FTZ.—In partial modification of the Resolution No. 3/2/73-FTZ(T) dated 24th May, 1973 and 20th June, 1978 the high level Authority known as KAFTZ Authority, has been reconstituted with the following composition :—

Chairman

1. Commerce Secretary.

Members

2. Addl. Secretary,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

3. Addl. Chief Secretary (Industries),
Mines & Energy, Government of Gujarat,
Gandhinagar.

4. Secretary (Labour),
Government of Gujarat,
Gandhinagar.

5. Joint Secretary,
Ministry of Finance (DEA),
New Delhi.

6. Member (Customs), Central Board of Excise & Customs,
Ministry of Finance, Department of Revenue & Insurance, New Delhi.

7. Financial Adviser (Commerce),
Ministry of Finance, Department of Expenditure,
New Delhi.

8. Joint Secretary,
Ministry of Industrial Development,
New Delhi.

9. Chairman, KPT, Gandhidham.

10. Industries Commissioner,
Government of Gujarat, Ahmedabad.

11. Joint Secretary/Director in charge of EPZs, Ministry of Commerce,
New Delhi.

Member-Secretary

12. Development Commissioner,
Kandla Free Trade Zone.

Members

13. Joint Secretary in charge of Major Ports,
Min. of Shipping,
Govt. of India, New Delhi.

14. Joint Secretary,
Deptt. of Civil Aviation,
Govt. of India,
New Delhi.

15. Member Telecommunication,
Deptt. of Tele-communication,
Govt. of India, New Delhi.

2. The terms of reference of the Authority are as follows :—

(i) To review the working of the Kandla Free Trade Zone and give such directions as it may deem fit for the proper functioning of the industries already established in the Zone and for the growth of the Zone on right lines. The Authority will meet twice a year alternatively in New Delhi and Kandla.

(ii) To take decisions on additional fiscal and other concessions that may be needed to attract the right type of entrepreneurs and quicken the pace of industrialisation of the Zone keeping in view the local conditions and concessions available to entrepreneurs in Free Trade Zones in other parts of the world where success has been achieved; and

(iii) To deal with policy issues relating to Kandla Free Trade Zone meeting high level attention and which may be referred to it by the KAFTZ Board.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

No. 14/12/82-EPZ.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 14(12)/82-EPZ dated 25-1-1984, the Govt. of India have decided to reconstitute NEPZ Authority (NEPZA). The NEPZ Authority will deal with all major policy issues for speedy creation, growth and development of Noida Export Processing Zone.

The composition of the reconstituted NEPZA will be as under :—

COMPOSITION

Chairman

1. Commerce Secretary

Members

2. Secretary (Industry),
Government of U.P.

3. Chief Executive Councillor,
Delhi Administration.

4. Chief Secretary to the Govt. of U.P.

5. Secretary (DEA),
Ministry of Finance,
Govt. of India.

6. Secretary (Expenditure),
Ministry of Finance,
Govt. of India.

7. Secretary,
Deptt. of I.D.,
Ministry of Industry,
Govt. of India.

8. Secretary,
Deptt. of Civil Aviation,
Govt. of India.

9. Secretary,
Deptt. of Electronics,
Govt. of India.

10. Member (Transportation),
Railway Board.

11. Chairman,
P&T Board.

12. Chairman,
Noida.

13. Additional Secretary,
In-charge of EPZs in
Deptt. of Commerce,
Govt. of India.

14. AS & FA,
Ministry of Commerce,
Govt. of India.

15. Chief Controller of Imports & Exports,
Govt. of India.

16. Chairman (CBEC),
Ministry of Finance.

17. Chairman, IDSI.

18. Deputy Governor,
Reserve Bank of India,
Exchange Control Deptt.

Member-Secretary

19. Development Commissioner,
Noida EPZ.

The Chairman of the Authority is authorised to co-opt. on ad-hoc basis any representative of any other Department/agency whose association is considered essential to its working and to appoint sub-Committees as and when required.

R. SETHURAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 26th May 1986

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence for Andaman Offshore area measuring 10900 sq. kms. to Oil India Limited.

No. O-12012/46/84-ONG D 4.—In partial modification to this Ministry's order of even No. dated 24-1-1986, the effective date of the PEL viz 1-3-1986 appearing in 7th line of para 1, may please be read as 1-5-1986.

There is no other change in the other terms and conditions of the licence.

By order in the name of the President of India.

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for B-17 Structure measuring 195 sq.kms to ONGC (BOF)

No.0-12012/4/84-Prod. In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for the period from 24-10-85 to 31-12-85 for B-17 structure area measuring 195 sq.kms. (offshore) the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars there of.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission Shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 96912/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by Sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operation, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/Survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The entire data is processed in India.

(n) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence/Chief Hydro.

(o) Foreign Vessels if deployed for survey, are to under go naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) The date of Commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

(q) The entire data is processed in India.

Schedule 'A'

(1) Structure B—17
(2) PEL area 195 sq. kms.
(3) Geographical Coordinates

Points	Longitude			Latitude.		
A	71°	32′	57·86″E	19°	26′	9·86″N
B	71°	42′	25·72″E	19°	26′	9·86″N
C	71°	42′	25.72″E	19°	18′	17·26″N
D	71°	37′	47·14″E	19°	18′	17·26″N
E	71°	32′	57·86″E	19°	23′	0·82″N

(4) Water depth 73 Mts.

(5) Approximate distance from prominent places on land :
Bombay—200 kms.
Dehonu—210 kms.

(6) Spudding date : As per exploration Plan (as on 25-8-83) 1983-85, location will be taken up in March, 1984.

(7) Whether or not Exploration of Hydrocarbons is a part of the plan—B 17 structure comes under the plan Exploratory Drilling programme of 1983-85 to exploit hydrocarbon potentials.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubmic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri———————. ——do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

The 27th May 1986

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Block No. 1 of Andeman Off shore area measuring 7500 sq. kms. to ONGC.

No.0-12012/77/85-ONG D4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-3-86 for Block No.1.

Andeman area measuring 7500 sq. kms. (Offshore) particulars of which are given in schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum & Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 60000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thertof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and maganatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of Oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence/Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

Petroleum Exploration Licence for Block No. 1, of Andaman Offishore Area-7500 sq. kms.

1. (i) Area :	Part of Andaman Offshore (Eastern) within the area bound by East Longitudes 92° 40′ & 93° 40′ North Latitudes 10° 50′ and 11° 40′.
(ii) Extent of PEL8 area	7500 sq. kms. (area shown on map).
(iii) Geographical coordinates of boundary points (shown on map).	Point A 92° 45′ 08″E 10° 52′ 57″N Poin B 93° 39′ 38″E 10° 52′ 57″N Point C 93° 39′ 38″E; 11° 37′ 39″N Point D 92° 45′ 41″E; 11° 37′ 39″N Point E 92° 44′ 02″E; 11° 28′ 49″N Point F 92° 45′ 08″E; 11° 12′ 39″ N
2. Approximate distance farthest point (point B) from 3 prominent places of land	Port Blair 127 kms. Henry Lawrence 132 kms. Rutland IS 122 kms.
3. Approximate depth of super jacent water in the area.	50 to 400 M.
4. Likely date of commencement of exploratory drilling	1st March, 1986.
5. Approximate distance of the structure (are under IEL) from the international boundary and border of the foreign state;	More than 80 Kms., on the Indian side from the relevant international boundary.
6. Name of the Foreign firm/Foreigners deployed during drilling/exploration activities.	ONGC's own drillship. Security clearance has been obtained from the Home Ministry for a few foreigners on this ship.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained]	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservior.	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri ——————————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order in the name of the President of India.

.....
(Signature)
P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION

New Delhi, the 13th March 1986

No. 13011/2/83-Credit-II.—In pursuance of the decision taken by the Government of India to implement the Comprehensive Crop Insurance Scheme (1985) in the country from Kharif 1985 season, it has been decided to constitute a Central Crop Insurance Fund for the purpose. The Fund will be administered by the General Insurance Corporation of India on behalf of the Central Government in accordance with the instructions issued by the Central Government (Department of Agriculture and Co-operation) from time to time.

5—111 GI/86

The main functions of the Fund will be as under :—

(a) To receive crop insurance premia through the financial institutions and the subsidy portion of premia from the Central and State Governments, and issue policies.

(b) To scrutinise and settle claims.

(c) To maintain proper accounts of all transactions and render accounts at specified intervals to Central and State Governments.

(d) To hold and invest the available funds in such manner as instructed by the Central Government and to deal with the income as instructed.

(e) To give overall technical guidance to State Funds.

(f) To collect and analyse Statistical Data relevant to the Comprehensive Crop Insurance Scheme.

(g) To co-operate with and to render technical assistance to State Governments in their efforts to put in the necessary marketing and publicity efforts and also to link crop insurance with agricultural extension programmes wherever possible.

For the purpose of administration of the Fund the General Insurance Corporation of India (GIC) will follow the following instructions and will have the following authority :—

1. To accept declarations for insurance and issue certificates of insurance in accordance with the provisions of the Comprehensive Crop Insurance Scheme with whatever modifications may be made in the Scheme from time to time. The GIC should maintain necessary records and accounts in respect of such business.

2. To collect funds by way of premia or other charges from the banks or other financial institutions in respect of Crop Insurance and hold the money in deposit or in investments in accordance with instructions given by the Government from time to time. Any resulting investment income should be credited as income of the Crop Insurance business transacted under the scheme.

3. To receive notification of claims and to process and settle the claims in accordance with normal insurance underwriting practice.

4. To render accounts statements to the State Crop Insurance Funds in respect of their share in the insurance scheme and to pay them the balances due or make recoveries which may be due in respect of such business.

5. To render accounts and make such reports as may be prescribed, in respect of the Central Crop Insurance Fund, to the Central Government, duly audited.

6. To incur expenses for the administration of the Scheme and recover from the Central Government 50% of such expenses. The balance 50% should be treated as expenses of management of the Corporation or subsidiaries, as the case may be, to be debited in the Profit and Loss account as charge on the profit of the GIC.

7. Where the GIC is called upon to pay claims in excess of the net funds relating to the Central Government's share in the Crop Insurance Scheme in its hands then the Central Government will pay to the GIC immediately the funds required for payment of such claims on presentation of necessary documentation in support of the request.

8. To take all necessary action and to sue or to defend legal actions in relation to the operation of the Crop Insurance Scheme.

9. In general, to do all such things as are necessary for efficient discharge of its functions and to administer the Crop Insurance Scheme.

10. The above instructions and authority will be in force until modified or extended by subsequent letters.

K. R. NAIR, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 27th May 1986

RESOLUTION

No. 1-1/86-CW.—A National Children's Board was constituted on 3 December 1974 with Prime Minister as President in pursuance of the provisions in the National Policy for Children Resolution dated 22 August 1974 to provide a national forum for planning, review and co-ordination of the services to meet the needs of children.

2. The National Children's Board was last reconstituted on 4 April 1984.

3. In supersession of the earlier orders constituting the National Children's Board, the President is pleased to reconstitute the National Children's Board as follows :—

President

1. Prime Minister.

Working Chairman

2. Minister of Human Resource Development.

Members

3. Minister of Finance.

4. Minister of Health and Family Welfare.

5. Minister of Labour.

6. Minister of State for Welfare.

7. Minister of State for Education & Culture.

8. Minister of State in the Departments of Youth Affairs, Sports and Women and Child Development.

9. Deputy Chairman
Planning Commission.

10—19. *Ten non-officials with experience in Child Welfare*

10. President
Indian Academy of Paediatrics
Kailas Darshan
Kennedy Bridge, Bombay-7.

11. President
Indian Council for Child Welfare
4, Deen Dayal Upadhayaya Marg,
New Delhi-2.

12. Smt. Tara Ali Baig
R-8, Hauz Khas,
New Delhi.

13. Dr. C. Gopalan
Director General
Nutrition Foundation of India
B-37, Gulmohar Park
New Delhi-49.

14. Dr. B. N. Tandon
Head
Human Nutrition Unit
All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar,
New Delhi.

15. Shri Hari Dang
Principal,
Army Public School
New Delhi.

16. Fr. Placido Fonseca
Sneha Sadan
Chakala, Andheri East
Bombay.

17. Smt. Wahabuddin Ahmed
President,
Bharatiya Grameen Mahila Sangh
Palm Springs,
Himayun Nagar,
Hyderabad-28.

18. Smt. Shobhana Ranade
798 Bhandarkar Institute Road
Daccan Gymkhana
Pune Maharashtra.

19. Dr. K. D. Gangrade
Department of Social Work
University of Delhi
Delhi-110 007.

20. Minister in-charge of Child Welfare,
Welfare
Nagaland.

21. Minister in-charge of Child Welfare,
West Bengal.

Members

22. Minister in-charge of Child Welfare, Punjab.

23. Minister in-charge of Child Welfare, Rajasthan.

24. Minister in-charge of Child Welfare, Tamil Nadu.

Member

25. Administrator Dadra and Nagar Haveli.

Members

26-27. *Two Members of Lok Sabha*

26. Smt. Kishori Sinha Boring Road, Patna Bihar.

27. Shri N. Soundararajan Uppathur, P. O. Virthu Nagar Kamraj District Tamil Nadu.

28. *One Member of Rajya Sabha*

Shri A. K. Antony K. P. C. C. (I) Office Nandavanam Junction Trivandum.

Members

29. Chairman, Central Social Welfare Board.

30. Director, National Institute of Public Co-operation and Child Development.

31. Secretary, Department of Women and Child Development.

4. The functions of the Board shall be :—

(i) to plan and review the implementation of the programmes connected with the activities for the welfare of children;

(ii) to co-ordinate the efforts made by different governmental and private agencies in implementing programmes for the welfare of children;

(iii) to locate gaps in the existing services and suggest measures to eliminate such gaps;

(iv) to suggest, from time to time, any changes needed in the priorities accorded to the different programmes; and

(v) to act as a high powered national body to symbolize the commitment of the nation to the welfare and development of children.

5. The Board shall have a Standing Committee of the following members :—

Chairman

1. Minister of State in the Departments of Youth Affairs, Sports and Women & Child Development.

Members

2. Minister of State for Finance.

3. Member in charge of Child Welfare in Planning Commission.

4. Dy. Minister of Health and Family Welfare.

5. Minister in charge of Child Welfare in Tamil Nadu.

6. Additional Secretary (school) Education, Department of Education.

7. Additional Secretary and Commissioner of Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.

8. Chairman, Central Social Welfare Board.

9. Director, National Institute of Public Co-operation & Child Development.

10. President, Indian Council for Child Welfare.

Member Secretary

11. Secretary, Department of Women and Child Development.

6. The term of office of the non-official members on the Board and on the Standing Committee of the Board will be two years.

7. A unit in the Department of Women and Child Development will form the Secretariat of the Board and the Standing Committee.

8. The Board shall ordinarily meet once a year and the Standing Committee twice a year.

9. The non-official members of the Board and the Standing Committee will be eligible for T. A. and D. A. as provided under the rules.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. DAYAL, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th January 1986

RESOLUTION

No. El.I/11(15)/83-Panel.—Government of India have decided to constitute the Development Panel for Lamps Fittings & Components. Industries with the following composition for a period of 2 years from the date of the Resolution.

Chairman

1. Shri C.L. Anand, Chairman & Managing Director, Punjab Anand Lamps, Chandigarh.

Members

2. Shri K. K. Taneja, Industrial Adviser, DGTD, New Delhi.

3. Representative from DC (SSI).

4. Representative from HMT Lamp Unit.

5. Representative from ISI.

6. President, Electric Lamp & Component Manufacturers' Association of India.

7. Shri S.R. Anand, Technical Director, Sylvania & Laxman Ltd., New Delhi.

8. Shri Thapan K. Ray, Managing Director, Bengal Electric Lamp Works Ltd., Calcutta.

9. Shri R. Ramamurtham, Director. Pieco Electronics & Electricals Ltd., Bombay.

10. Shri S. Shanmugam, Managing Director, Metal Lamp Caps India Ltd., Bangalore.

11. Representative from the Department of I.D.

12. Managing Director, Electric Construction & Equipment Co. Ltd., New Delhi.

13. Managing Director,
Apart Pvt. Ltd., Baroda.

14. Managing Director,
Kalpana Lamp Components

Members Secretary

15. Shri K.C. Sharma,
Development Officer,
CLE Directorate, D.G.T.D.,
New Delhi.

The terms of reference of the panel would be as under :—

1. Formulation the growth of profile of the inducting covering various types of electric lamps and fittings and their components and machinery for the manufacture of these items according to the contemporary developments in the field.

2. To assess the need for and the method of introducing improved products and production technology to maintain the industry in a competitive position with regard to improve the domestic demand and also opening up new export markets.

3. To estimate major inputs required and to identify the areas where such inputs require further improvement with regard to the availability, quality and price.

4. Constraints and suggestions for their removal for higher production of lamps, fittings and their components.

5. Assessment of current technology and technology development to improve technologies and cost reduction.

6. Any other relevant matter.

Sectetarial assistance will be provided by DGTD. The Headquarters of the Panel would be in the Office of the DGTD.

Order :—Ordered that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL
Director (Administration) & CVO

MINISTRY OF TRANSPORT

(DEPARTMENT OF RAILWAYS)

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 21st May 1986

No. ERBI/85/6/20—In partial modification of Resolution of even No. dated 8-10-85, the Department of Railways have decided that henceforth following designations should be uniformly used for posts in the office of Railway Board :—

S. No.	Pay Scale of the Post	Revised Designation
1	2	3
1.	Officers of organised Rly. services in scale Rs. 2500-2750/-	Executive Directors
2.	Officers of organised Rly. services in scale Rs. 2250-2500/-	Additional Executive Directors
3.	Officers belonging to other services/RBSS in the scale of Rs. 2000-2500/2000-2250/-	Director/Joint Secretary (as the case may be)
4.	Officers of organised Rly. services RBSS in the scale of Rs. 1500-2000/-.	Joint Director/Deputy Secretary (as the case may be)
5.	Officers belonging to organised Rly. services/RBSS in scale Rs. 1100-1600/1200-1600/-	Deputy Director/Under Secretary (as the case may be)
6.	Public Relations Officer on deputation from Ministry of Information and Broadcasting	Should have the Information & Broadcasting designation commensurate with their pay scale Accordingly the designation of DPR should be chanced as Dy. PIO (Rlys.)

2. The designations of posts which were specified by separate orders for Recruitment Rules (such as Economic Adviser, Legal Adviser etc) will continue as hitherto.

A. N. WANCHOO, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 27th May 1986

RESOLUTION

U.23013/11/84-LW.—In partial modification of para 2 of the Ministry of Labour's Resolution No. U.23013/11/84-LW (ii), dated 22-1-1986, published in Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-I dated the 22nd January, 1986 relating to the constitution of a committee to go into the question of working of contract labour system in Manganese Mines in the country, Central Government hereby makes the following amendment namely :—

In the said Resolution against Serial No. 7 for the words and letters "Shri K. P. Mehta, Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh—Member Convener" the following shall be substituted, namely :—

"Regional Labour Commissioner, (Central), Kothi No. 155, Sector 38-A, Chandigarh".

Member-Convener

ORDER

Copies of the Resolution may be sent to :—

1. All the Members of the Central Advisory Contract Labour Board.

2. The Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Steel), New Delhi.

3. The Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Mines), New Delhi.

4. The Steel Authority of India Limited, Ispat Bhavan, Lodi Road, New Delhi-110003.

5. Regional Labour Commissioner (Central), Kothi No. 155, Sector 38-A, Chandigarh. A copy of Resolution dated 22-1-1986 is enclosed for reference.

6. Shri R.H. Dharmadhikari, Deputy General Manager (Tech). Manganese Ore (India) Ltd., 3, Mount Road. Extension, Nagpur-440001.

7. Shri Suresh Chand, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, New Sectt. Building, Nagpur.

8. Shri S.K. Sanyal, Working President, Indian Mines Workers Federation, Bornala, Nagpur-13.

9. Shri S. Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Rajendra Nath, Katras Road, Dhanbad.

10. Shri A. Khalique, Chief Personnel Manager, National Mineral Development Corgoration Limited. (A Government of India Undertaking) 10-3-311/1A, Caste Hills Nas A Tank, Hyderabad-500028.

11. Shri T.R. Goenka, Goenka Minerals (P) Ltd., "Sheel Niwas", Post Box No 271, 1062, West High Court Road, Nagpur-440010.

ORDER

Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section-I).

P. B. MAHISHI
Deputy Secretary to the Govt. of India
Secretary to the Central Advisory
Contract Labour Road

New Delhi, the 2nd June 1986

No. Q-16011/3/WE.—In pursuance of Rule-8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India, hereby nominate Shri Ajit Singh, Additional Secretary, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Ku. Mira Seth, former Additional Secretary in the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi with effect from 11th March, 1986.

No. Q-16011/3/85-WE.—In pursuance of Rule 3(ii) read with Rule. 4(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Shri Ajit Singh, Additional Secretary, Ministry of Labour Government of India as a member on the Central Board for Workers Education in place of Ku. Mira Seth, former Additional Secretary in the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi with effect from 11th March, 1986.

2. The following changes shall, accordingly, be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/3/79-WE dated the 8th/15th May, 1981, as amended from time to time.

(i) For the existing entry viz :—
"2. Ku. Mira Seth,
Additional Secretary,
Ministry of Labour,
Government of India,
New Delhi".

(ii) The following entry shall be substituted :—
"2. Shri Ajit Singh,
Additional Secretary,
Ministry of Labour,
Government of India,
New Delhi".

R. N. PURI, Deputy Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986